

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क. /निगरानी/16-17 2

8140

01. अतुल धूपर आ. श्री हखंशलाल धूपर
आयु वयस्क निवासी 119, मालवीय
नगर भोपाल.

PBR/अग्रमी/भोपाल/शुक्रवार/2017/4080

02. दीपक नन्दा वल्द श्री ओमप्रकाश नन्दा
आयु वयस्क निवासी एच.आई.जी. 4687,
अरेरा कालोनी भोपाल.

.....आवेदकगण

"विरुद्ध"

01. श्रीमती जेठीबाई पत्नी स्व. ढालूमल पुरुस्वानी
मृतक द्वारा विधिक वारिसान-

(अ) श्री एस.एस. पुरुस्वानी

(ब) श्री एन.एस. पुरुस्वानी

(स) श्री पी.डी. पुरुस्वानी

तीनों वयस्क एवं निवासीगण 50,

एम.एक्स.ई.-7, अरेरा कालोनी भोपाल.

भगवान श्रीनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.

भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्रीमती राजरानी जौहरी

पत्नी श्री राजकुमार जौहरी निवासी हैप्पी होम्स

मालवीय नगर भोपाल.

श्री. प्रभात डी.के. मर्या
द्वारा आज दि. 20/06/17 को
प्रस्तुत

Noted
9/11/17

उत्तरदातागण
प्रभात डी.के. मर्या

.....उत्तरदातागण

:: निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 ::


महोदय,

सेवा में यह निगरानी श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील रा.प.टी.टी.
नगर भोपाल द्वारा राजस्व प्रकरण कं. 12/अ-6/15-16 में पीछे-पीछे पारित आदेश दिनांक
16.06.2017 एवं 23.09.17 से परिवेदित होकर प्रस्तुत हैं :-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2017/4080

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-18	<p>आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 के वारिसान की ओर से श्री संदीप माहेश्वरी, अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिताकी धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>